भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *112

सोमवार, 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण, 1948 (शक)

रोजगार सृजन और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी

***112. डॉ. शिव पाल सिंह पटेल:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बढ़ती बेरोजगारी के दृष्टिगत युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण और सतत रोजगार के अवसर सृजित करने और रोजगार सृजक क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस और समयबद्ध कार्य योजना बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने और सुरक्षा मानकों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा बाल श्रम की रोकथाम, प्रभावित बच्चों के पुनर्वास और बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और कार्यस्थल पर सुरक्षा, वेतन में समानता और मातृत्व संबंधी लाभ के संबंध में नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*

"रोजगार सृजन और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी" के संबंध में सांसद डॉ. शिव पाल सिंह पटेल द्वारा दिनांक 27.07.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *112 के उत्तर में संदर्भित विवरण ।

(क) से (घ): भारत में रोजगार और बेरोज़गारी के आधिकारिक अनुमानों को आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से प्राप्त किया जाता है जिसे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है। पीएलएफएस की कार्यप्रणाली में जनवरी 2025 से संशोधन किया गया था। पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट, 2025 संशोधित श्रृंखला की पहली रिपोर्ट है जिसमें जनवरी से दिसंबर 2025 की अवधि के श्रम बाज़ार संबंधी अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं।

पीएलएफएस रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर रोजगार को दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2022 में 54.1% से बढ़कर वर्ष 2025 में 57.4% हो गया है तथा 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोज़गारी दर (यूआर) वर्ष 2022 में 3.6% से घट कर 2025 में 3.1% हो गई है। साथ ही, 15-29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं के लिए बेरोज़गारी दर (यूआर) वर्ष 2022 में 10.9% से घट कर 2025 में 9.9% हो गई है।

सरकार ने 1.91 लाख करोड़ रुपये के अनुमोदित वित्तीय परिव्यय के साथ 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की हैं जिनका उद्देश्य भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना, निर्यात बढ़ाना, रोज़गार सृजित करना और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार करना है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) पीएलआई योजनाओं के समग्र समन्वय और निगरानी के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है, जबकि संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अपनी-अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। 31.03.2026 तक, पीएलआई योजनाओं के तहत, 2.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वास्तविक निवेश और 14.15 लाख से अधिक (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) रोज़गार का सृजन हुआ है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) के साथ-साथ युवाओं के समग्र एलएफपीआर को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), स्टैंड-अप इंडिया स्कीम, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), विज्ञान और इंजीनियरिंग

में महिलाएं-किरण (डब्ल्यूआईएसई-किरण), एसईआरबी-पावर (अन्वेषणात्मक अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देना), मिशन शक्ति, नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन आदि कार्यान्वित कर रही है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार ने "नव्या" (युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण) भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को मुख्य रूप से गैर-पारंपरिक और नई प्रकार की नौकरियों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।

रोज़गार मेले एक प्रमुख पहल है जिसे रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। शुरुआत से अब तक, देश भर में आयोजित किए गए 19 रोज़गार मेलों के माध्यम से 12.5 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं।

इसके अलावा, सरकार विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) तथा देश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों आदि के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनः-कौशल (रि-स्किल) और उन्नत-कौशल (अप-स्किल) प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) भी लागू कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग जगत से जुड़े कौशल से लैस करके उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है।

इसके अतिरिक्त, सरकार, महिला कामगारों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

एमएसएमई मंत्रालय ने 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है जिसका उद्देश्य उद्यमों को औपचारिक रूप देना, सरकारी सहायता तक पहुँच का विस्तार करना और एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल में

कुल 8.9 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पंजीकृत किए गए हैं जो देशभर में 39 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं तथा जिसमें (महिलाओं द्वारा संचालित 3.4 करोड़ उद्यमों सहित) उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म (यूएपी) भी शामिल हैं।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगारपरकता के लिए आईटी कर्मियों की री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के लिए 'फ्यूचर स्किल्स प्राइम' कार्यक्रम शुरू किया है।

इसके अलावा, सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। पीएमवीबीआरवाई एक मांग-संचालित योजना है। इस योजना के भाग 'क' के तहत, पहली बार नौकरी करने वाले 13.18 लाख कर्मचारियों को 744.7 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है; तथा भाग 'ख' के तहत, 83,535 लाभार्थी प्रतिष्ठानों को 2068.84 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

21 नवंबर 2025 से चार श्रम संहिताओं- वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 को लागू कर दिया गया है, जिसमें 29 पूर्ववर्ती श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाया गया है।

सरकार ने कारखाने सहित किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत व्यक्तियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाओं को विनियमित करने और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं (ओएसएच और डब्ल्यूसी) संहिता 2020 लागू की है। ओएसएच एंड डब्ल्यूसी कोड 2020 21.11.2025 से लागू हुआ है। केंद्र सरकार ने 08.05.2026 पर ओएसएच और डब्ल्यूसी (केंद्रीय) नियम 2026 को भी अधिसूचित किया

है। ओएसएच एंड डब्ल्यूसी संहिता 2020 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, जोखिमपूर्ण प्रक्रियाओं, दंड और प्रक्रियाओं आदि से संबंधित विस्तृत प्रावधान हैं। इसके अलावा, ओएसएच एंड डब्ल्यूसी संहिता, 2020 के अनुसार नियोक्ता को अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना है किः

i. जोखिमों से मुक्त कार्यस्थल जो कर्मचारियों को चोट या व्यावसायिक बीमारी का कारण बनता है या होने की संभावना है।

ii. कार्यस्थल में संयंत्र और कार्य प्रणालियों का प्रावधान और रखरखाव जो सुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए जोखिम के बिना हैं।

iii. कार्यस्थल में सभी कार्यस्थलों का ऐसी स्थिति में रखरखाव जो सुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए जोखिम के बिना हो और ऐसे स्थानों तक पहुंच के ऐसे साधनों का प्रावधान और रखरखाव जो सुरक्षित और ऐसे जोखिम के बिना हों;

इसके अलावा, इन श्रम संहिताओं में महिला श्रम बल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रावधान हैं जैसे:-

(i) कार्यस्थल के विवादों के समाधान में महिलाओं की राय को शामिल करने के लिए शिकायत निवारण समिति में उनका आनुपातिक प्रतिनिधित्व।

(ii) 26 सप्ताह तक का सवैतनिक मातृत्व अवकाश, साथ ही गोद लेने वाली और कमीशनिंग माताओं के लिए 12 सप्ताह तथा मातृत्व अवकाश के बाद जहां संभव हो वहां रिमोट कार्य की अनुमति देना।

(iii) समान या समकक्ष कार्य के लिए वेतन और रोजगार की शर्तों के मामले में लिंग आधारित भेदभाव का निषेध।

(iv) कामकाजी माताओं को काम और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाने में मदद करने के लिए छह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए शिशु गृह सुविधाओं को बढ़ावा देना।

इसके अलावा, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 ने महिलाओं को सभी संस्थानों में सभी तरह के कामों के लिए कार्य करने की अनुमति दी है। महिलाओं को उनकी सहमति से, उन्हें सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद भी काम पर रखा जा सकता है, बशर्ते सुरक्षा, कार्य अवधि, छुट्टियों और सुरक्षा से जुड़ी अन्य शर्तों का पालन किया जाए। यह संहिता यह भी सुनिश्चित करती है कि संस्थानों को किसी भी खतरनाक या जोखिम भरे काम में महिलाओं को तैनात करने से पहले पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने होंगे।

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म "शी-बॉक्स पोर्टल" शुरू किया है, जिसमें 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' (यौन उत्पीड़न अधिनियम) के विभिन्न प्रावधान शामिल हैं।

सरकार ने महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के मुद्दे का समाधान करने के लिए जीवन-चक्र की निरंतरता के आधार पर बहुआयामी दृष्टिकोण भी अपनाया है। इसके परिणामस्वरूप, भारत महिलाओं के विकास से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की दिशा में तीव्र परिवर्तन का साक्षी बन रहा है, जहाँ नए भारत की परिकल्पना में महिलाएँ तीव्र और सतत राष्ट्रीय विकास का नेतृत्व कर रही हैं।

सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 में भी ऐसे प्रावधान किए हैं, जिसके तहत कंपनियों के लिए कम-से-कम एक महिला निदेशक नियुक्त करना अनिवार्य किया गया है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बजट (2024-25) में उद्योगों के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास (वर्किंग वूमेन हॉस्टल) स्थापित करने तथा कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शिशु देखभाल केंद्र (क्रेच) स्थापित करने की घोषणा की गई है।

सरकार द्वारा बाल श्रम की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 लागू करना। इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम या रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध और खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरों का निषेध शामिल है। यह अधिनियम इसके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए नियोक्ताओं को सख्त सजा का प्रावधान करता है और अधिनियम के तहत अपराधों को संज्ञेय बनाता है।
ii. बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) नियम, 1988 का निर्माण। नियम अन्य बातों के साथ-साथ, जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तर पर जिला नोडल अधिकारी (डी. एन. ओ.) और कार्य बल का प्रावधान करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम के प्रावधानों को ठीक से लागू किया जा रहा है।
iii. संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कार्य बिंदुओं की गणना करते हुए आदर्श राज्य कार्य योजना तैयार करना।

श्रम और रोजगार मंत्रालय बाल श्रमिकों के बचाव और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन. सी. एल. पी.) योजना लागू कर रहा था, जिसके तहत 9 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को काम से बचाया गया, एन. सी. एल. पी. विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एस. टी. सी.) में नामांकित किया गया और औपचारिक शिक्षा प्रणाली में मुख्यधारा में आने से पहले उन्हें सेतु शिक्षा आदि प्रदान की गई। इस योजना को 01.04.2021 से शिक्षा मंत्रालय की एक योजना, समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) में मिला दिया गया था।
